संख्या–1232/9–आ–3–2003–55 वि./2002

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र, सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 17 अप्रैल 2003

विषय : प्राधिकरण वाले नगरों की माहयोजनाएं बनाये जाने के दायित्व के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बंधित मुझे आपका ध्यान उत्तर प्रदेश (नगर नियोजन एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा–11 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिनियम की उक्त धारा–11 (1) के अर्न्तगत योजना/ महायोजना तैयार किए जाने तथा उसकी स्वीकृति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :–

11. Procedure to be followed in the preparation and approval of plan :

(1) Before preparing any Plan finally and submitting it to the state Government for approval, the Authority shall prepare a plan in draft and publish it by making a copy there of available for inspection and publishing a notice in such form and manner as may be preseribed by regulations made in that behalf inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft plan before such date as may be specified in the notice :

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राधिकरणों (Authority) द्वारा नगर की योजना/महायोजना का प्रारूप तैयार करने तथ उसे आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही की जानी है और महायोजना बनाने का दायित्व प्राधिकरणों का है।

2. अतः उपरोक्त अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरणों वाले नगरों की महायोजनाएँ बनाने का दायित्व विकास प्राधिकारणों का है एवं तद्विषयक समस्त व्यय प्राधिकरणों द्वारा स्वयं किया जायेगा और इन नगरों की महायोजना तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग केवल तकनीकी मार्गदर्शक एवं को–आर्डीनेटर की भूमिका निभाएगा।

3. इस क्रम में यह भी निर्देशित करना है कि महायोजना के साथ ही जोनल प्लान भी तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(जे. एस. मिश्र)
सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

1. प्रतिलिपि आयुक्त/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(दिवाकर त्रिपाठी)
विशेष सचिव।